उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 14•10•99को सम्पन्न हुई वर्ष 1999 की

174वीं बैठक का कार्यवृत्त

= =

दिनांक- 14•10•99 को बैठक प्रारम्भ हुई ,जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

1-	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2-	श्री एन0 रवि शंकर आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री रामवृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव(आवास) (प्रतिनिधि सचिव,आवास) उ0प्र0 शासन	सदस्य
4-	श्रीमती माया जगदीश उपसचिव, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नगर विकास) उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5-	श्री बाबूलाल, अनु सचिव,सार्वजनिक उघम विभाग (प्रतिनिधि, सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग) उ0प्र0 शासन	सदस्य
6-	श्री एम0पी0 अनेजा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0	सदस्य
7-	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सदस्य

विशेष आमंत्री के रूप मेंः-
===============

1-	श्री सुबोधशंकर मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2-	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी वित्त नियंत्रक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

N. Ravi Shankar

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिए गये:-

क्रमांक	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 173वी बैठक दिनांक 31.7.99 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मुख्य अभियन्ता जल निगम ने अपने पत्र दिनांक 30.8.99 द्वारा यह शंका व्यक्त की है कि क्रमांक-10 के सम्बंधमेंजो निर्णय अंकित है उसके बिन्दु सं0-1में कदाचित असुधारशुल्क के साथ वास्तविकव्यय एवं उसपर ब्याज लिए जाने का भी निर्णय लिया गया था।परिषदद्वारा उक्त पत्र को संज्ञान मे लेते हुए यह निर्देश दिए गए कि मुख्यअभियंता जलनिगम को यह सूचित कर दिया जाये कि परिषद द्वारालिए गये निर्णय को ही अभिलिखित किया गया है तथा उसमे कोई त्रुटि नही है।इस आब्जर्वेशन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि कीगई।
2.	परिषद की 173वी बैठक दिनांक 31.7.99 की अनुपलन आख्या।	अवलोकित।
3.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियो कीसूची।	अवलोकित।
4-	परिषद की डमरैलीयोजना मिर्जापुर मे गुरूनानक हाईसकूल के बगल मे अवस्थित पर्क को विकास एवं रखरखाव हेतु लाईसेंस पर दिए जाने केसम्बन्ध मे।	अवलोकित।
5-	चिकित्साअग्रिम स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध मे।	इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि भविष्य मे इसप्रकार के प्रकरणो में शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के तहत कार्यरत

N. Ravi Shanker

		जनपद के सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रिम स्वीकृत करने पर विचार किया जाए।
6-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-19 में स्वयं वित्तपोषित परियोजना 99ए के अंतर्गत एफ-95 प्रकार के 24नग फ्लैट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
7-	झूसी योजना संख्या-3 इलाहाबाद मे स्वंय वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 116नग सेमीफिनिश्ड भवनो के निर्माण के सम्बंधमे।	अनुमोदित।
8-	योजनासंख्या-1 कानपुर के सेक्टर-एच§पार्ट§ एवं आई में सीवर कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्वन्ध मे।	अनुमोदित
9-	वसुन्धरायोजना गाजियाबाद के सेक्टर-19मे स्वंय वित्त पोषित परियोजना-99एके अन्तर्गत एफ-127प्रकार के 48नग फ्लैट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
10-	बहादराबाद भूमिविकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 1,रानीपुर ,हरिद्वार के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विकासकार्यो कीपुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
11-	मझोला संख्या-4भाग-1मुरादाबादके विकास कार्योकी पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
12-	वसुन्धरायोजना गाजियाबाद मे 33के0वी0लाईन के निर्माण ,20एम0बी0क्षमता के सबस्टेशन का निर्माण एवं तत्सम्बंधी कार्य तथा 6नं0 आउटगोईगं सर्किट के निर्माण कार्यकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
13-	वसुन्धरा योजना सं0-3गाजियाबआद के सेक्टर-19मे वाह्य विधुतीकरण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।

N. Ravi Shankar

14-	फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु प्रदेश की घोषितफिल्म नीति 1999 का क्रियान्वयन किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
15-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ मे समाविष्टग्राम इस्माईलगंजके खसरा संख्या-101 व 102 की भूमि के सम्बन्ध मे।	प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये।
16-	परिषदकी मझोला योजना संख्या-4(भाग-1)मुरादाबाद में समाविष्ट मैसर्स श्रीरामस्ट्रावोर्ड मिल्स की 2.90 एकड भूमि के सम्बन्ध मे।	अवलोकित।
17-	वसुन्धरा योजना संख्या-3गाजियाबादमें समाविष्ट अशोक सहकारी गृहनिर्माण समिति लि0गाजियाबाद की भूमि के ग्रुपहाउसिंग के अंतर्गत बहुमंन्जिले फ्लैट बनाकर देने के बजाय विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराए जाने के सम्बंधमे।	मुख्यवास्तुविद नियोजक द्वारा अवगत करायागया कि ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत बहुमंजिलेफलैटबनाने के बजाय विकसित भूखण्ड की अनुमति दिए जाने मे लेआउट की दृष्टि से कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है ।इससे योजनाके स्वरूप पर भी कुप्रभाव नही पडेगा तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर भी भार पहले की तुलना मे कम होगा । प्रस्ताव अनुमोदितकरते हुए निर्णय लियागया कि वास्तविक विकासशुल्कलिया जाय तथा प्लान की स्वीकृति परिषद से लीजायेगी।
18-	शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 मेरठ मे समाविष्ट खसरासं05867,5868,5869व 5881की कुलभूमि 9-16-0बीघा के विकास शुल्क केसम्बंधमे।	विकल्प-4इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित कि भूमि का किसी अन्य प्रयोजन के लिये डिस्पेजल नही किया जायेगा।
19-	वृन्दावन (तेलीबाग) योजना संख्या-2में समाविष्ट ग्राम उतरेठिया में खसरा संख्या-355 की 1-1-5बीघाभूमिको योजना मे समायोजितकिए जाने के सम्बन्धमे।	मुख्य वास्तुविद नियोजक,मुख्यअभियन्ता व संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि)की समिति गठित करतेहुए समिति की संस्तुतियो के आधार पर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया ।
20-	विकासशुल्क के स्थान पर अनुपार शुल्क जमा कराए जाने के सम्बन्ध मे।	विचारविमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भूमि समायोजन के सम्बन्ध मे एक स्पष्ट नीति निर्धारित कर ली जाये तथा इस प्रकरण को नीति निर्धारित होने तक स्थगित रखा जायं।
21-	परिषदकी शाहपुरयोजना संख्या-1गोरखपुर मे समाविष्ट भूमिखसरा संख्या-71/1मे465.75वर्गमीटर भूमि श्रीमती आमनाबेगम पत्नी स्व0श्रीमोहम्मद इश्हाक के पक्ष मे आवंटित किए जाने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
22-	परिषद की बेतियाहाता (दक्षिणी)योजना गोरखपुर मे 1.90एकड अर्जन से मुक्त की गई भूमि की शर्तो मे परिवर्तन के सम्बंधमे।	अनुमोदित।

N. Ravi Shanker

23.	परिषद की महेवा झारखंडी योजना गोरखपुर में समाविष्ट खसरा संख्या-90/2में अर्जितभूमि का 60 प्रतिशत अर्जनमुक्त एवं 40प्रतिशत परिषद के पक्ष में छोड़े जाने के सम्बन्ध में।	बिन्दुवार निम्न निर्णय लिये गये :- 1-विकास व्यय लेते हुए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया । 2-नियमों के अन्तर्गत ही कम्पाउंडिंग अनुमन्य होगी। 3-अनुमोदित 4-अनुमोदित 5- अनुमोदित।
24-	महोली योजना संख्या-1 ,मथुरा के खसरा संख्या- 2080 एवं 2081 कुलक्षेत्रफल0.19एकड़भूमि का अनुधारशुल्क लेकर भूस्वामीके पक्ष में आवंटित करते हुए योजना में समायोजित करने के सम्बन्धमें।	विकास व्यय लेते हुए आवंटित किए जाने का निर्णय लियागया ।
25-	कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, नजीमाबाद की धारा-31(1)का प्रस्ताव।	अनुमोदित।
26-	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण हेतु आयसीमा में बढ़ोत्तरी किए जाने के सम्बन्ध में।	अल्प आय वर्ग केपंजीकरण हेतु वार्षिक आय सीमा रुपया 22500.0के स्थान पर रुपया 25200/-निर्धारण केसाथ प्रस्ताव अनुमोदित।
27-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-6 में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्धमें।	अनुमोदित ।
28-	विकासनगर विस्तार लखनऊ में प्रस्तावित स्वयं वित्त पोषित परियोजना 99ए के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
29-	रिगरोड योजना संख्या-1मुजफ्फरनगर केविकासकार्यों कीपुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति केसम्बन्ध में।	अनुमोदित।
30-	योजना संख्या-1 मैनपुरी के 84.81एकड़भूमि के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
31-	वसुन्धरा यो॰ गाजियाबादमें सेक्टर-17 में आंशिक स्वंयवित्तपो॰ परियोजना 98ई के अन्तर्गत निर्माणाधीन एम॰ 66प्र॰ 345नगभवनो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय ॰कृति के सम्बंधमें।	अनुमोदित।
32-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिशद सहायकअभि0 सेवाविनियमावली 1973(यथासंशोधित)मेसंशोधन के सम्बन्ध मे	प्रस्ताव पर विचार स्थगित कियागया ।

N. Ravi Shankar.

33-	परिषद के मस्टररोल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध मे।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत पारिश्रमिक भुगतान किए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। जिनप्रकरणो मे विधिक बिन्दु निहित हो उनका परीक्षण करते हुए विधिसंगत तरीके से निस्तारित किया जावे।
34-	वृन्दावन योजना संख्या-3 लखनऊ की धारा-28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	मुख्यवास्तुविद नियोजक द्वारा योजना के सम्बन्ध मे एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण कियागया । तत्पश्चात प्रस्ताव अनुमोदितकिया गया ।
35-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम इस्माईलगंज के खसरा संख्या-57 मे छोड़े गये निर्माण के चारो ओर उपलब्ध भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
36-	महोबा चरखारी मार्ग भूमिविकास एवं गृहस्थान योजना का परित्याग करने के सम्बन्ध मे।	वि0भू0 अध्याप्ति अधिकारी के पत्र संख्या-396 दिनांक 1·7·87 द्वारा योजना को स्वतः समाप्त होना सूचित कियागया है।अतः इसपरिप्रेक्ष्य मे विचारोपरांत यह निर्णय लियागया कि चूँकि योजना स्वतः समाप्त हो गई है अतः अन्य किसी कार्यवाई किए जाने का औचित्य नही है।
37-	कुर्सीरोड ﴾विकासनगर﴿योजना लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम शेखापुर के खसरा संख्या-41 की भूमि के सम्बन्ध मे।	विकासव्यय लेते हुए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
38-	कुर्सीरोड ﴾विकासनगर﴿योजना लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम रैतासपुर के खसरासं0-49 व 58 के सम्बन्ध मे।	इस तथ्य के दृष्टिगत कि परिषद द्वारा प्रश्नगतभूमि अनियमित रूप से अर्जित हुई एवं माननीय न्यायालय के आदेश के विपरीतप्रार्थी की भूमि का समुचित उपयोग किया गया है अतः असुधारशुल्क लेते हुए बिन्दुसंख्या-1मे उल्लिखित भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कियागया ।
39-	वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ की धारा-28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	मद संख्या-34 के अनुरूप निर्णय लियागया ।
40-	जनताऋणयोजना के अंतगत ऋणगृहीता द्वारा अतिदेय धनराशि का भुगतान करने हेतु अनुपातिक छूट देने केसम्बंधमे।	अनुमोदित।
41-	मूल्यांकन निर्देशिका -86﴾संशोधित संस्करण-1992﴿ के प्रस्तर-18 मे संशोधन का अनुमोदन।	अनुमोदित।
42-	महोली योजना संख्या-1,मथुरा के अन्तर्गत कब्जा प्राप्तभूमि मेंसे 7·77एकड़भूमि आवासीय प्रयोजन सेभिन्न होने की दशा मेंशासन द्वारा अर्जनसे विरत करने के फलस्वरूप उक्त	मुख्यवास्तुविद नियोजक से पुनःपरीक्षण कराते हुए प्रकरण को निस्तारित किए जाने का निर्णय लियागया।

N. Ravi Shankar.

	भूमि मे से 0.91एकड़ भूमि आपसी समझौते से आदान -प्रदान कर समायोजित करने के सम्बन्ध मे।	
43-	राजाजीपुरम योजना लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम सिहारीपुर मे समाविष्ट खसरा संख्या-206,207, 208,209,210 व 211 के सम्बन्ध मे।	मुख्यनगर एवं ग्राम नियोजक ,मुख्यवास्तुविद नियोजक एवं संयुक्त आवास आयुक्त(भूमि)की समिति गठित करते हुए समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।
44-	योजना संख्या-1 छिबरामऊ मे 41.02एकड़क्षेत्र के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
45-	तेलीबाग योजना संख्या-2,भाग-1 मे स्वंय वित्त पोषित परियोजना 98बी के अन्तर्गत प्रस्तावित -45/75 व 31/63प्रकार के क्रमशः91 व 97नग भवनो के निर्माणहेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिके सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
46-	इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-25 मे स्वर्णजयंती स्मृतिविहार पार्क की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध मे।	अनुमोदित।
47-	परिषद मे कार्यरत चालको को एकवर्ष मे एक बार पन्द्रहदिन के मूलवेतन के बराबर मानदेय दिए जाने के सम्बन्ध मे।	परिषद ने शासनादेश को संज्ञान मे लिया।

पुष्टि की गयी

[illegible] 4.12.99

अध्यक्ष